CNR-UPLL010024982026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- (सुनील सिंह)

(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP 6456

विविध वाद संख्या- 193/2026

गोलू शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा बनाम अभिषेक यादव आदि।

17.06.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये अपराध पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी।

2. आवेदक/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मुहल्ला अंजनी नगर पूराकलां रोड तालबेहट, थाना तालबेहट जिला ललितपुर का मूल निवासी है। दिनांक 29.04.2026 को रात्रि 09.00 बजे अपने ढावा आपकी अपनी रसोई पर बैठा हुआ था तथा कई लोग भोजन कर रहे थे कि उसी समय अभिषेक यादव तनय रामराजा यादव निवासी खांदी मजरा बरवारी, आशीष यादव पुत्र जयपाल यादव निवासी ग्राम कडेसराकलां, आकाश यादव तनय नामालूम पता नामालूम, साहिल यादव तनय नामालूम निवासी खांदी मजरा पटारन, बृजेन्द्र यादव तनय राजू यादव निवासी ग्राम खांदी, मजरा बरवारी व 5-6 लोग अज्ञात प्रार्थी के ढावे में अवैध तमंचों व लाठियों के साथ घुस आये तथा मां बहिनों की गालियां देते हुए प्रार्थी तथा उसके स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे जब प्रार्थी ने विरोध किया तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी की नाक पर तमंचे की वट से हमला कर दिया तथा प्रार्थी तथा उसके स्टाफ पर तमंचे तान दिये। तमंचों का भय दिखाकर प्रार्थी की गुल्लक से विकी के 06 हजार रूपया व प्रार्थी की जेब में रखे हुए 7,340/- रू० जबरिया लूट लिये व प्रार्थी गले में चांदी की चैन पहने हुए था। जिसका वजन करीब 65 ग्राम भी लूट ले गये। प्रार्थी के ढावे पर बैठकर भोजन कर रहे पुष्पराज तनय राघवेन्द्र सिंह, हर्ष तनय विश्वनाथ सिंह निवासी मुहल्ला चौबयाना तालबेहट व प्रार्थी के स्टाफ के लोग रघुवर रैकवार, अजुद्दी रैकवार, सुखदेव रैकवार आदि लोगों ने सम्पूर्ण घटना देखी तथा बीच बचाव किया उपरोक्त सभी लोग लूट कर भागते समय धमकी देते गये कि तुझे ढाबा संचालन करना है तो तू कहीं पर कोई कार्यवाही नही

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.06.17 14:31:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करेगा नही तो जान से मारकर फेंक देंगे। प्रार्थी उसी समय से काफी भयभीत है उपरोक्त सभी लोग काफी दबंग व गुण्डा प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो प्रार्थी के साथ कभी भी अप्रिय घटना कारित कर सकते है। प्रार्थी के पास घटनाक्रम का सी०सी०टी०वी० फुटेज व वीडियो मौजूद है। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना सम्बन्धित पुलिस थाना तालबेहट को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी तदोपरान्त प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को दी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा दर्ज कराये जाने की याचना की गयी।

3. उक्त के सन्दर्भ में थाना तालबेहट, जिला ललितपुर से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार आवेदक गोलू शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा पुत्र स्व० श्री रामकिशोर शर्मा के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 140/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2) बीएनएस दिनांक 02.05.2026 को पंजीकृत है, जिस कारण अपने बचाव में उक्त प्रार्थऩा पत्र दिया गया है, थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित दिनांक, समय व स्थान पर अवैध तमंचे, लाठियों के साथ आकर माँ-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए उसके व उसके स्टाफ के साथ मारपीट करना, विरोध पर उसकी नाक पर तमंचे की वट से हमला करना, तमंचे का भय कारित कर उसकी गुल्लक से 6 हजार रुपये व उसकी जेब से 7340/- रुपये जबरन लूटना, गले से चांदी की चेन वजन करीब 65 ग्राम की लूट करना अभिकथित है, घटना को पुष्पराज, हर्ष, रघुवर, अजुद्दी रैकवार, सुखदेव रैकवार आदि लोगों द्वारा देखना, बीच-बचाव करना, और आवेदक को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना, कथित घटना सीसीटीवी फुटेज, वीडियो उपलब्ध कराया जाना अभिकथित है। इसके अतिरिक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज न होने पर आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक ललतिपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया है, उसके द्वारा का०सं० 6ख, 7ख क्रमशः डाक रजिस्ट्री रसीद, एसपी ललितपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति दाखिल की गयी है, उसके द्वारा शपथ पत्र एवं आधार कार्ड प्रति दाखिल की गयी हैं, उसके द्वारा तथाकथित घटना के बाबत सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियो की पेनड्राईव संलग्न कर प्रेषित की गयी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने का उल्लेख है, जो आवेदक द्वारा दाखिल एसपी ललितपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की डाक रसीद आदि से पुष्ट होता है। इसके अतिरिक्त थाने की आख्या के अनुसार आवेदक गोलू शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा पुत्र स्व० श्री रामकिशोर शर्मा के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 140/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2) बीएनएस दिनांक 02.05.2026 को पंजीकृत होना कहा है, किन्तु न तो थाने द्वारा रिपोर्ट में उक्त मुकदमे के संबंध में न कोई विस्तृत उल्लेख किया गया है कि किस दिनांक को घटित किस प्रकरण के संबंध में घटना घटी थी, और न ही उसके संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त

थाने द्वारा तथाकथित घटना के संबंध में विस्तृत जांच नहीं की गयी है, केवल सरसरी तौर पर थाने द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी है। आवेदक द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिये जाने पर आवेदक की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जिसके उपरान्त आवेदक उक्त घटना की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक ललितपुर को दिये जाने के बावजूद भी थानाध्यक्ष ललितपुर द्वारा आवेदक की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्रस्तुत मामले में विवेचना द्वारा ही साक्ष्य एकत्रित किया जाना संभव है।

5. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोजन पंजीकृत करके पुलिस के माध्यम से विवेचना कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं.प्र.सं. **स्वीकार** किया जाता है। थाना तालबेहट, जिला ललितपुर के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के प्रार्थनापत्र के तथ्यों के प्रकाश में अविलम्ब सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रार्थना पत्र की एक प्रति संबंधित थाने को भेजी जाये।

दिनांक **17.06.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।